

ORDER - SHEET

१५/१२/२०२० आश्वी केन्द्र आबकारी वृत्त देपालपुर के अपराध क्रमांक ८५२/२०१०

अंतर्गत धारा ३४(१)(क) म०प्र०आबकारी अधिनियम के आरोपी

के विरुद्ध यह अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

अभियोग पत्र के परिशीलन उपरांत धारा १९० (१) (ख) दं.प्र.सं. के अधीन मामले का संज्ञान लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय की नियमित दौड़िक प्रकरणों की पंजी में विधिवत पंजीबद्ध किया जावे। धारा २०७ दं.प्र.सं. के अनुपालन में अभियुक्त को अभियोग एवं प्रपत्रों की प्रतिलिपि दिलाई गई। प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति विधिवत मालखाना विभाग में जमा की जावे।

आरोपी आज स्वयं उपस्थित हैं।

उसने प्रकट किया है कि वह स्वयं अपना पक्ष समर्थन करते हुये अपराध स्वीकारोक्ति करना चाहते हैं। अभियुक्त को यह समझाया गया कि वह स्वीकारोक्ति के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह अपराध स्वीकारोक्ति करता है तो उसके विरुद्ध उपयोग में लिया जाकर उसे कारावास के दंडादेश से भी दंडित किया जा सकता है। इस पर अभियुक्त का कहना है कि वह स्वेच्छया बिना किसी भय, दबाव व लालच के अपराध स्वीकार करना चाहता है।

तदनुसार संक्षिप्त विचारण प्रक्रिया अपनाकर संक्षिप्त विचारण संबंधी प्रपत्र पर अभियुक्त को धारा ३४(१)(क) म०प्र०आबकारी अधिनियम के अपराध की विशिष्टता पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छया अपराध स्वीकारोक्ति की।

तदनुसार स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को उक्त अपराध के लिये न्यायालय अवसान तक के कारावास व १५,०००/- (असुर) पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त/गण ने आरोपित अर्थदण्ड की राशि रुपये १५,०००/- (असुर) पचास हजार रुपये मात्र ई पैमेंट

००७० १५०२२०२००००३८१ चालान क्र० ००७० ८२६६ पर जमा की जिसे उसकी रसीद प्रदान की गई।

निष्कर्ष नियमित आपराधिक पंजी में अंकित कर समयावधि में प्रकरण विधिवत तैयार कर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

पुनरचः-

अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा भुगतवाई जाकर प्रत्यक्ष में रिहा किया गया।

जे०एम०एफ०सी०देपालपुर
देपालपुर, जिला देउर (स.प्र.)

जे०एम०एफ०सी०देपालपुर

देपालपुर, जिला देउर (स.प्र.)